Website:- www.dipronline.org
email:- projjn@rediffmail.com,
राजस्थान सरकार
सूचना एवं जनसम्पर्क कार्यालय,झुंझुनू

बिजली-पानी की विचाराधीन शिकायतों का अविलम्ब निस्तारण करें - मीणा

झुंझुनू, 15 मार्च: अपर जिला कलेक्टर के.एल. मीणा ने विद्युत एवं पेयजल के अधिकारियों से कहा है कि वे लम्बे समय से विचाराधीन शिकायतों का अविलम्ब निराकरण करें ताकि लोगों को गर्मी के मौसम में बिजली के बिना पानी की समस्या से जूझना नहीं पड़े। यह दोनों ही व्यवस्थाएं एक दूसरे की पूरक हैं। हमें चाहिए कि इन व्यवस्थाओं को चुस्त-दुरूस्त बनाये रखने के हर संभव प्रयास करें। वे सोमवार को यहां बिजली, पानी एवं मौसमी बीमारियों की समीक्षा बैठक में बोल रहे थे।

उन्होंने कहा कि गर्मी के मौसम में मौसमी बीमारियों पर भी सत्त निगरानी रखी जाये और जहां कहीं भी शिकातय प्राप्त होने पर वहां उसका अविलम्ब निराकरण भी किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि पशुपालन व चिकित्सा विभाग को चाहिए कि वे मौसमी बीमारियों से सम्बन्धित दवाओं की उपलब्धता भी पहले से रखें ताकि एन वक्त पर किसी दवा के लिए भागम दौड़ नहीं करनी पड़े। उन्होंने तीन दर्जन से अधिक बिजली और पानी से सम्बन्धित बकाया शिकायतों की प्रगति की जानकारी भी सम्बन्धित अधिकारियों से प्राप्त की। उन्होंने पेयजल स्रोतों के बकाया विद्युत कनेक्शन भी अगली बैठक से पहले करने के निर्देश दिये। बैठक में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. आर.बी. सिंह, बी.डी.के. अस्पताल के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉ. हनुमान सिंह शेखावत सहित बिजली, पानी, पशुपालन, आयुर्वेद आदि विभागों के अधिकारी भी उपस्थित थे।

नहरी क्षेत्र में आवंटन के बाद खारिज की गई भूमि को बहाल करने का प्रावधान

झुंझुनू, 15 मार्च: बीकानेर के उप निवेशन विभाग के अतिरिक्त आयुक्त नत्थूराम ने बताया है कि इन्दिरा गांधी नहर उप निवेशन क्षेत्र में पूर्व में राजकीय भूमि का आवंटन किया गया था। यदि विशेष आवंटन में आवंटित भूमि किश्तों के अभाव में निरस्त की जा चुकी है एवं किसी अन्य को आवंटित नहीं की गई हो तो ऐसे प्रकरणों में राज्य सरकार द्वारा जारी अधिूसचूना की तिथि से 6 माह के अन्दर आवेदन कर अपनी समस्त बकाया राशि 31 मार्च

तक जमा कराने पर खारिज की गई भूमि को बहाल करने का प्रावधान किया गया है। उन्होंने बताया कि ऐसे आवंटी व्यक्ति 31 मार्च तक समस्त बकाया राशि 12 प्रतिशत की दर से, एक अप्रेल से 30 जून तक 15 प्रतिशत एवं एक जुलाई से 30 सितम्बर तक 18 प्रतिशत की दर से ब्याज सहित राशि जमा कराएंगे तो उन्हें उनका आवंटन बहाल कर दिया जायेगा।

सहायता राशि स्वीकृत: जिला कलेक्टर आलोक गुप्ता ने चन्द्रपुरा गांव की एक महिला को सवर्ण जाति के व्यक्ति द्वारा उसके साथ अत्याचार करने पर 75 हजार रूपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत की है। यह मामला सदर थाने में एस./एस.टी. एक्ट में पेश हुआ था। यह राशि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा पीड़िता को उपलब्ध करायी जाएगी।

.....2....

रिद्धी सिद्धि योजना में 22 महिला सहकारी समितियों को स्वीकृति

झुंझुनू, 15 मार्च: सहकारिता विभाग के रजिस्ट्रार ने रिद्धि सिद्धि योजना के तहत जिले की 22 स्वीकृत चयनित महिला सहकारी समितियों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत उचित मूल्य के दूकानदार प्राधिकृत करने की स्वीकृति प्रदान की है। जिला रसद अधिकारी हरभजन सिंह ने बताया कि झुंझुनू तहसील में बुडाना, अलसीसर, धनूरी, जयपहाड़ी, टमकोर, खाजपुर का बास और इण्डाली, चिड़ावा में सुलताना, धिंगडिया, अडूका, चिड़ावा, लाम्बा गोठड़ा, बलौदा, बुडानिया और गिडानिया, बुहाना में जयसिंहपुरा, पुहानिया व सुलताना अहिरान, नवलगढ़ में डूमरा, पबाना व माण्डासी तथा खेतड़ी तहसील में खेतड़ी पर्यटन सहकारी समिति खेतड़ी नगर (गोठडा) को स्वीकृति प्रदान की गई है। उन्होंने बताया कि इन सभी प्राधिकृत महिला सहकारी समितियों को अगले दो सप्ताह में निर्धारित प्रपत्र में अपना आवेदन पत्र व प्रतिभूति राशि सहित जमा कराना होगा।

महानरेगा योजना में भूमिगत जल स्रोतों को भी बढ़ावा

झुंझुनू, 15 मार्च: केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा महानरेगा योजना में करवाये जा रहे कार्यों के तहत भूमिगत जल स्रोतों को बढ़ावा देने के कार्य भी करवाये जा रहे है। जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सी.एम. काला ने बताया कि सूरजगढ़ पंचायत समिति के बेरला गांव में महानरेगा योजना के तहत करीब 44 लाख रूपये की लागत से जोहड़ खुदाई व

जोहड़ कैचमेन्ट एरिया का दुरूस्तीकरण जैसे कार्य करवाये जाकर ग्रामीणों को लाभान्वित किया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि महानरेगा योजना में जॉब कार्ड धारकों को 100 दिन का रोजगार मिलने से लोगों ने अपने पक्के आशियाने बनाने भी प्रारम्भ कर दिये हैं। ऐसा ही एक उदाहरण बेरला गांव में देखने को मिला है। यहां के धोलिया लुहार की पत्नी मीरां देवी ने गांव वालों की प्रेरणा से गांव में पुनः आकर अपना जॉब कार्ड बनवाया और नरेगा के कार्यो पर नित्य प्रति कार्य करने के लिए जाने लगी। मीरां देवी की मेहनत रंग लाई और देखते ही देखते महानरेगा में कार्य करने पर उसे प्राप्त हुई राशि का उसने पक्का मकान बनाने में उपयोग किया। पहले यह लोग परिवार सहित खुले आसमान के नीचे झोपड़ी व तम्बू में रहते थे। यह परिवार अब से 10 साल पहले गांव छोड़कर चला गया था और आये दिन एक दूसरे गांवों में जाकर रोजी-रोटी का जुगाड़ कर रहा था। लेकिन नरेगा योजना शुरू होने के बाद यह परिवार गांव में वापस आया है। गांव में करीब 100 वर्ष पहले बने एक तालाब की सफाई का कार्य भी महानरेगा योजना में होने से वर्षा के दौरान इसमें पानी की आवक हुई, जिसका लाभ भी ग्रामीणों को मिला है।

उन्होंने बताया कि गिरते भू-जल स्तर को ध्यान में रखते हुए हमें परम्परागत जल स्रोतों का जीर्णेद्धार करना आवश्यक हो गया है। उन्होंने कहा कि तालाबों की भराव क्षमता को बढ़ाने के लिए बरसाती जल को परम्परागत जल स्रोतों में एकत्रित करने के लिए तालाबों के कैचमेन्ट एरिया को नरेगा योजना में दुरूस्त करवाया जा रहा है। ग्राम रोजगार सहायक सुभिता ने बताया कि इस गांव में वर्ष 2008-09 में 118 श्रमिक परिवारों ने 100 दिन का कार्य पूरा किया है, वहीं चालू वित्त वर्ष में अब तक 285 परिवारों ने 100 दिन का कार्य पूर्ण कर लिया है। अब तक 812 परिवारों के जॉब कार्ड बनाये जा चुके हैं। बैंक ऑफ बडौदा में 275 व पोस्ट ऑफिस में 500 खाते भी जॅाब कार्ड धारियों के खुलवाये जा चुके हैं। बेरला पंचायत के सभी 19 बी.पी.एल. परिवारों ने भी 100 दिन का कार्य पूर्ण कर लिया है।

.......3.......

चैक क्लियरेन्स तिथि को जमा तिथि माना जाएगा

झुंझुनू, 15 मार्च: राष्ट्रीय बचत संस्थान जयपुर के क्षेत्रीय निदेशक बी.आर. रैगर ने बताया है कि पी.पी.एफ. खातों में भी गत 10 फरवरी 2010 से चैक से राशि जमा करने पर चैक क्लियरेन्स तिथि ही जमा तिथि मानी जाएगी, जबकि पहले चैक प्रस्तुत करने की तिथि को निवेश तिथि माना जाता था। उन्होंने बताया कि भारत सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है

कि अब सभी बचत योजनाओं में लोकल चैक या ड्राफ्ट से धन जमा करने पर भी चैक क्लियरेन्स तिथि को निवेश तिथि माना जाएगा। यह नियम डाकघरों व बैंकों में चलाई जा रही राष्ट्रीय बचत योजनाओं पर भी लागू होगा।

सांसद एवं विधायक कोटे से चार कार्यो के लिए 15.50 लाख रूपये स्वीकृत

झुंझुनू, 15 मार्च: जिला परिषद द्वारा सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास एवं विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के तहत चार निर्माण कार्यो के लिए 15 लाख 50 हजार रूपये स्वीकृत किये गये हैं। जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सी.एम. काला ने बताया कि सांसद शीशराम ओला के कोटे से बुहाना पंचायत समिति के घरडाना कलां ग्राम पंचायत के रायपुर घरडाना के राजकीय मा.वि. के खेल मैदान की चार दीवारी निर्माण के लिए 4 लाख रूपये स्वीकृत किये गये हैं।

उन्होंने बताया कि खेतड़ी विधायक एवं ऊर्जा मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह के कोटे से तीन कार्यो के लिए 11 लाख 50 हजार रूपये की राशि स्वीकृत की गई है। उन्होंने बताया कि खेतड़ी पंचायत समिति के माधोगढ़ गांव में पाईप लाईन व पम्प सैट की स्थापना के लिए 5 लाख रूपये और ठाठवाड़ी गांव में नलकूप निर्माण के लिए 5 लाख रूपये तथा नौरंगपुरा गांव में डाकघर के अधूरे कार्य को पूरा कराने के लिए एक लाख 50 हजार रूपये की राशि मंजूर की गई है।

<u>फोलोअप शिविर का आयोजन 29 व 30 मार्च को:</u> राज्य सरकार द्वारा हाल ही में चलाये गये प्रशासन शहरों के संग अभियान के फोलोअप शिविरों का आयोजन नगर परिषद द्वारा 29 व 30 मार्च को नगर परिषद कार्यालय में किया जायेगा। नगर परिषद आयुक्त श्रवण कुमार ने बताया कि 29 मार्च को वार्ड नम्बर एक से 22 तक और 30 मार्च को वार्ड संख्या 23 से 45 तक के वार्डो की प्राप्त शिकायतों का फोलोअप शिविर में निराकरण किया जायेगा।

<u>विशेषज्ञ चिकित्सकों के साक्षात्कार अब 19 मार्च को:</u> चिकित्सा विभाग द्वारा संविदा के आधार पर अस्थाई तौर पर विशेषज्ञ चिकित्सकों के साक्षात्कार अब 17 मार्च की बजाय 19 मार्च को प्रातः 10.30 बजे कलेक्ट्रेट के सभागार में लिये जाएंगे। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. आर.बी. सिंह ने संविदा के आधार पर अस्थाई नियुक्ति चाहने वाले चिकित्सकों से निर्धारित तिथि को निर्धारित समय पर साक्षात्कार में उपस्थित होने के लिए कहा है।

<u>चिकित्सा शिविर का आयोजन:</u> नगर परिषद द्वारा शहर के सैनिकपुरा स्कूल के समीप स्थित मंदिर में स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना के तहत चिकित्सा एवं जन चेतना शिविर का आयोजन किया गया। नगर परिषद आयुक्त श्रवण कुमार ने बताया कि शिविर में 76 रोगियों के स्वास्थ्य की जांच बी.डी.के. अस्पताल के चिकित्सक डॉ. श्रीराम दुलड़ एवं जी.एन.एम. सुश्री अनिता ने की। उन्होंने शिविर में आये व्यक्तियों को आवश्यक परामर्श एवं नि:शुल्क दवाएं भी वितरित की। नगर परिषद की राजस्व अधिकारी सुश्री डॉ. अभिलाषा आबूसरिया ने राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी देते हुए बी.पी.एल. परिवारों को इन योजनाओं का अधिकाधिक लाभ उठाने का आग्रह भी किया। योजना के तहत आगामी शिविर 22 मार्च को वार्ड नम्बर 37 के जैन दादा बाड़ी में आयोजित किया जायेगा।